आज अवकाश

दैनिक निर्दलीय कार्यालय में तकनीकी कारणों से १३ फरवरी को अवकाश रहेगा। अतएव, निर्दलीय का आगामी अंक १५ फरवरी २०२६ को पाठकों के हाथों में होगा।

- प्रबंध संपादक, दैनिक निर्दलीय

निर्दलीय प्रकाशन

फ१९६/७ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२ ०१६

निर्दलीय प्रकाशन का स्वर्ण जयंती वर्ष

निर्दलीय

संपर्क-फ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल

निष्पक्षता, निर्वैरता व निर्भयता का दैनिक प्रवक्ता

ई-मेल: nirdaliyadaily@gmail.com,nirdaliya@rediffmail.com

दैनिक निर्दलीय
साप्ताहिक निर्दलीय
और मासिक निर्दलीय
अब तीनों स्वरूपों में वेबसाइट
www.nirdaliya.comपर उपलब्ध
विधि: पहले उक्त लिंक पर जाएं
फिर क्लिक करें
e-paper, इसके बाद दैनिक निर्दलीय जिस तारीख का पढ़ना हो वह तारीख और पृष्ठ संख्या डालें।
साप्ताहिक हेतु weekly निर्दलीय
और मासिक हेतु Magazine निर्दलीय क्लिक करें

निर्दलीय एफ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२०१६

वर्ष-५३/१५ | अंक- १९६ | भोपाल, १३ फरवरी, डाक १४ फरवरी २०२६ | भोपाल व नई दिल्ली से प्रकाशित | पृष्ठ -८ | मूल्य १+१/-(संप्रेषण/स्वैच्छिक)

सर्वोदय तत्व दर्शन है गांधी की देन। अमल हेतु विनोबा रहे सदा बेचैन।।

त्वरित विचार
अग्र लेख-१५

कैलाश आदमी

वर्ष १९१५ में स्वदेश लौटने के पूर्व गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों को लेकर प्रयोग किए और उनमें सफलता मिली उसके पीछे गांधीजी की सर्वोदयी विचारधारा रही। इसके पूर्व वर्ष १९०९ में गांधीजी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता को एक रोग और तीन दिन का तमाशा निरूपित कर चुके थे। उनकी यह टिप्पणी ब्रिटेन में हो रहे अंधाधुंध औद्योगिक विकास को लेकर थे। गांधीजी राय में यह आधुनिक सभ्यता की ओर बढ़ता कदम था किंतु यह सभ्यता ना तो धर्म का विचार करती है और ना आचार पर ही ध्यान देती है। इसके विपरीत गांधीजी भौतिक संपन्नता की अपेक्षा नैतिक पवित्रता और आत्मशक्ति पर बल देते थे।

दरअसल गांधीजी ने ब्रिटेन में वकालत की परीक्षा देने के पूर्व अहिंसा विज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने इस हेतु लंबे समय तक स्वाध्याय किया। इस दौरान उन्होंने इस्लाम, ईसाइयत और बौद्ध व जैन धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने चीन के दार्शनिक कन्फूशियस और उसके समकालीन लाओत्से के दर्शन को भी समझा। कन्फूशियस व्यक्तिगत संबंधों में अहिंसा को स्थान देते थे लेकिन वे सामूहिक हिंसा के विरोधी नहीं थे वहीं लाओत्से अराजकतावादी थी किंतु उन्होंने जो सिद्धांत प्रचलित किए उनके कारण उन्हें शांतिवादी दार्शनिक कहा गया। लाओत्से के अनुसार मनुष्य का धर्म यह है कि ताओ (मार्ग) का अनुसरण करें जो अहंकार और हिंसा के विपरीत अहं त्याग का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अहं त्याग का शास्वत सिद्धांत है- सीखो और उसका अनुकरण करो जबकि अहं त्याग का अर्थ है स्व की भावना को मिटाना और बुराई के बदले भलाई करना। इस प्रकार चीन में पहले पहल लाओत्से ने हिंसा के प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया लेकिन उनकी शिक्षा वैयक्तिक संबंधों तक सीमित रही। उधर यूनान में महर्षि सुकरात सत्य के अनवेशण में लगे थे तथा अहिंसक प्रतिरोध हेतु उन्होंने सत्याग्रह के विचार को स्वीकार किया था। उनके शिष्य प्लेटो को कहना था कि सृष्टि पाशविक शक्ति के ऊपर अहिंसा की विजय है। यूनान में सुकरात और प्लेटो को बड़ी प्रसिद्धी मिली। गांधीजी ने उनके मत को सराहा। इस बीच गांधीजी ने यहूदियों की पुस्तक 'ओल्ड टेस्टामेंट' का अध्ययन किया जिसे धर्म शिक्षा पुस्तक के रूप में आदर दिया जा रहा था। इसे गांधीजी ने अहिंसा आंदोलन की विरासत बताया। पुस्तक में कहा गया- घ्रणा झगड़ों को उकसाती है लेकिन प्रेम सब पापों को ढक लेता है। यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे सताओ मत। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी दो। यदि शत्रु असफल हो जाए तो तुम्हें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। शत्रु को ठोकर लगे तक भी हर्षित नहीं होना चाहिए।

यहूदि धर्म जहां इजराइल में बढ़ और पनप रहा था वहीं ईसाई धर्म की भी इसी के अनुसरण में उत्पत्ति हो रही थी। ईसा कह रहे थे उनका सिद्धांत ओल्ड टेस्टामेंट के धर्म प्रर्वतकों की शिक्षा अर्थात प्रेम का नियम ही है। उधर गांधीजी भी ईसाई धर्म से अनुप्राणित थे तथा अपने सत्याग्रही दर्शन में ईसा की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बता रहे थे। उन्हें टालेस्टाय की 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' पुस्तक भी सत्य अहिंसा की प्रेरणा दे रही थी। गांधीजी पर रस्किन और थोरो का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। प्राचीन काल में ईसाइयों ने हिंसा को त्याज्य बताया और रोमन फौज में भर्ती से इनकार कर दिया था। इसका गांधीजी के मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

वर्ष १६६० में जॉर्ज फॉक्स ने क्वेकर्स की विख्यात 'सोसायटी ऑफ फ्रेंडस' की नींव डाली। फॉक्स के अलावा विलियम पेन और बार्क्ले युद्ध विरोधी सिद्धांतों के प्रतिपादक रहे। उनका कहना था प्रत्येक मनुष्य का पथ प्रदर्शन अंतरात्मा करती है जो शास्वत प्रकाशित है। इस अंतरज्योति की स्थिति बाइबल से भी ऊंची है। क्वेकर राजनीति के क्षेत्र में भी सफल हुए और पेनसिलवेनिया राज्य में ७० वर्ष तक शासन करते रहे। यदि उन्होंने उपनिवेश में गोरों को ना बसने दिया होता तो उनका बहुमत बना रहता। इसके साथ ही पड़ौसी फ्रांसीसी उपनिवेश से उनका झगड़ा पतन का कारण बना। उनके पतन में रेड इंडियंस की अहम भूमिका रही। अमेरिका में हेनरी डेविड थोरो दास प्रथा के विरूद्ध अहिंसक प्रतिरोध और सविनय कानून भंग की नीति पर चल रहे थे। यह वर्ष १८४९ की बात है किंतु गांधीजी ने स्वदेश लौटकर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया उस पर थोरो का प्रभाव रहा।

गांधीजी के विचारों के निर्माण में जोन रस्किन की पुस्तक 'अन्टू दिस लास्ट' का बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने सर्वोदय का जो विचार दिया उसके पीछे रस्किन के सिद्धांत रहे जो कहते थे- व्यक्ति का हित सर्व हित में सम्मिलित है, सबको जीवकोर्पाजन का समान अधिकार है और वकील के कार्य का वही मूल्य होना चाहिए जो नाई के कार्य का होता है। रस्किन के गुरु कार्लाइल उदारता के विरोधी किंतु सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान के शासन को महत्व देते थे। रस्किन पूरी तरह अहिंसा के पक्ष में नहीं थे लेकिन उनका कहना था कि वे बदला लेने और दंड के विरूद्ध हैं। गांधीजी के सर्वोदय सिद्धांत पन दार्शनिक टालेस्टाय का भी प्रभाव पड़ा।

गांधीजी के सर्वोदय तत्वदर्शन के मर्मज्ञ, प्रथम सत्याग्रही और भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध आचार्य विनोबा भावे ने उनकी हत्या के बाद मार्च १९४८ में सेवाग्राम में गांधी विचार के अनुरूप कार्यरत ११ स्वयंसेवी संगठनों का सम्मेलन बुलाया जिसमें सर्वसेवा संघ की स्थापना की गई जो सर्वोदय विचार एवं दर्शन को आज भी आगे बढ़ा रहा है। अंत में मेरी दो काव्य पंक्तियां-

सर्वोदय तत्व दर्शन है गांधी की देन।
अमल हेतु विनोबा रहे सदा बेचैन।।

उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता नियम कितने ग्राह्य?

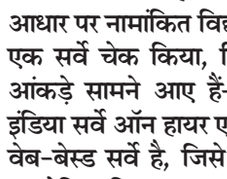

समीक्षा
■ सौम्या पाण्डेय 'पूर्ति'

आजकल सारा भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर सकते में हैं, विशेषकर युवा वर्ग, जो कि उच्च शिक्षा के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी से संलग्न हैं, यह समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करने पर ध्यान लगाएं या इन मुद्दों को सुलझाएं। इन नए नियमों के कारण आपस में जातिगत वैमनस्यता भी बहुत बढ़ गई है। इसका कारण नियमों में स्पष्टता का अभाव है। यह नियम घातक हैं क्योंकि इसमें अनुसूचित वर्गों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिससे सवर्ण नाराज हैं।

आयोग का गठन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया था। सन 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ यह अभियान, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी ने वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों का पर्यवेक्षण किया। वर्ष 1947 तक इसके दायरे में सभी मौजूदा विश्वविद्यालय शामिल हो गए।

वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये अनुदान आयोग को नामित किया। शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1953 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किये जाने के बाद यह वर्ष 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दस अन्य सदस्य होते हैं। इस संस्था के प्रमुख कार्यों में भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा के लिये सुधारों पर सलाह देना व उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना व उसके मानकों को निर्धारित करना इत्यादि सम्मिलित है।

आयोग द्वारा लागू Sc/St act 2012- 1) सन 2012 में विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में नियम बनाए थे, जिसका कार्य था छात्रों की शिकायतें सुनना और कॉलेज कैंपस में समानता का माहौल बनाए रखना, किंतु यह नियम अनिवार्य नहीं था, मात्र एक सलाह थी। 2) उद्देश्य था कि कॉलेज में अनुसूचित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव की शिकायतें ली जाएं, उन छात्रों के साथ किसी भी तरह की असमानता होने पर कार्रवाई की जाए, किंतु इसके लिए सुनवाई कब होनी चाहिए व कब तक जांच पूरी होनी चाहिए, इसका कोई प्रारूप तय नहीं किया गया था। 3) इस तरह से सन 2012 के ये नियम कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे, अतः कोई विश्वविद्यालय यदि EOC न बनाए, न शिकायतें सुनें व नियमों को नजरअंदाज कर दे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, न ही फंडिंग रोक सकती थी, न जुर्माना लगाया जा सकता था व न ही मान्यता रद्द की जा सकती थी।

नए नियम 2026 में हुए बदलाव-1) हर संस्थान में Equal Opportunity Centre बनाना अनिवार्य होगा, एवं उसके अंदर एक Equity Committee बनेगी, जिसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा व महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही अब इसमें हेल्पलाइन, सख्त टाइमलाइन को भी अनिवार्य किया गया है, जिसमें कोई भी शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर बैठक, फिर 15 दिन में उसकी जांच रिपोर्ट एवं सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। 2) सबसे घातक बदलाव है उसमें OBC छात्रों को सम्मिलित करना जिनकी संख्या लगभग 40 प्रतिशत है, अतः इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में मात्र 30-40प्रतिशत के मध्य सवर्ण छात्र ही रह जाते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का अभियोग व फर्जी शिकायतें लगाकर उत्पीड़ित किया जा सकता है। 3) अब दंड नीति भी कठोर है क्योंकि यदि संस्थान ये नियम नहीं मानते हैं, तो उनकी फंडिंग रोक सकता है, मान्यता भी प्रभावित कर सकता है, उनके नए पाठ्यक्रम अथवा डिग्री की मंजूरी भी बाधित कर सकता है। 4) इसका गलत प्रयोग इस प्रकार हो सकता है कि इन नए नियमों में दुरुपयोग रोकने के लिए कोई प्रभावी, स्पष्ट व सही प्रक्रिया नहीं है। अपील किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। 5) इन नियमों में आरोपी की सुरक्षा के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यदि फर्जी केस में उसे फंसाया जाए तो वह अपनेआप को कैसे सुरक्षित रख सकता है। 6) नियमों की कठोरता को देखते हुए संस्थान स्वयं को दंड से बचाने के लिए आरोपी पर अनावश्यक कार्यवाही कर सकते हैं जिससे सवर्ण बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है व उन्हें आपसी दुश्मनी में फंसाया जा सकता है। 7) इन नियमों में OBC के सम्मिलित होने से यदि अन्य वर्ग का उत्पीड़न करते हैं तो अनुसूचित छात्र उनपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे स्वयं भी एक्ट के दायरे में आ गए हैं अतः वे सवर्णों पर भी आरोप लगा सकते हैं व अनुसूचित वर्ग को भी प्रताड़ित कर सकते हैं।

क्या सामान्य वर्ग GC के नए नियम आवश्यक हैं- यहां यह बात गौरतलब है कि GC को ऐसे कोई नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में भेदभाव रोकने के लिए पहले से ही सख्त प्रावधान मौजूद हैं जैसे- अनुच्छेद 14, 15 एवं 17 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं, एवं जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं।

GC के लिए सुझाव- नए नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर स्टे लगा दिया है, किंतु इस पर पूर्णतः रोक लगाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना है- 1)सर्वोच्च न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ती दूरियों पर दुख जताते हुए पूछा - क्या हम पीछे जा रहे हैं? हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होना चाहिए था, जहां कोई ऊंच-नीच न हो, लेकिन आज पहचान और जाति के नाम पर विभाजन बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2) एक अन्य जज जॉयमाल्या बागची ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अमेरिका के पुराने दौर जैसे न बन जाएं, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग-अलग स्कूल हुआ करते थे। कोर्ट ने यह चेतावनी दी कि अगर हमने सख्ती नहीं दिखाई, तो असामाजिक तत्व इस स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों में सुधार के लिए कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, जिससे समाज बिना किसी तरह के विभाजन के साथ आगे बढ़ सके और सभी मिलकर विकास कर सकें।

इन नियमों के संज्ञान में आने के बाद मैंने पिछले सन 2012 के एक्ट के आधार पर दर्ज किए केसेज की जानकारी के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों की जानकारी के लिए एक सर्वे चेक किया, जिसके आधार पर निम्नांकित आंकड़े सामने आए हैं- शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो कि एक वार्षिक वेब-बेस्ड सर्वे है, जिसे सन 2010-11 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, यह भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों यानि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में छात्रों के नामांकन, शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और वित्त के डेटा का विश्लेषण करता है। वेब-आधारित सर्वे डेटा के अनुसार, 2021-22 में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 4.33 करोड़ है जिसमें- कुल 1,168 यूनिवर्सिटीज, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्वतंत्र संस्थान पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 1,162 यूनिवर्सिटीज, 42,825 कॉलेजों और 10,576 स्वतंत्र संस्थानों ने सर्वे में भाग लिया था, जिसके आधार पर जो डेटा को जारी किया गया था वह इस प्रकार है- एससी - 15.3, एसटी - 6.3, ओबीसी- 37.8, जनरल, अन्य - 40.6 प्रतिशत । तीनों वर्गों के छात्रों की संख्या लगभग 59.4 प्रतिशत है। पिछले 5 वर्षों में वर्ग अनुसार क्या बढ़ोतरी एवं घटोत्तरी हुई है वह इस प्रकार है- 1) SC छात्रों का नामांकन 2020-21 में 58.95 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.23 लाख हो गया है व पिछले 5 सालों में 2017-18 से 2021-22 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 25.4 की वृद्धि हुई है, वहीं, 2014-15 से देखें स्टूडेट्स के नामांकन में कुल 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2) ST छात्रों का नामांकन 2020-21 में 24.12 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गया था। पिछले 5 सालों में सन 2017-18 से 2021-22 के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में 41.6प्रतिशत की वृद्धि पाई गई थी, वहीं, 2014-15 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में कुल 65.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 3) OBC छात्रों का नामांकन 2020-21 में 1.48 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 1.63 करोड़ तक हुआ वहीं, पिछले 5 सालों में 2017-18 से 2021-22 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के नामांकन में 27.3त्न की वृद्धि हुई है, साथ ही 2014-15 से ओबीसी छात्रों के कुल नामांकन में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब सामान्य जाति वर्ग के साथ सभी जातियों पर आईआईएम जैसे संस्थान का एक हालिया अध्ययन के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थाओं में- एससी +एसटी+ ओबीसी छात्रों का सामूहिक आंकड़ा 60.8 प्रतिशत तक पहुंच चुका है वहीं सामान्य का हिस्सा काफी घटकर लगभग 39 प्रतिशत रह गया है।

इस जानकारी से यह पता चलता है कि आरक्षण के बढ़ते प्रभाव से सामान्य वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होता जा रहा है जबकि आरक्षित वर्ग कहीं आगे निकल चुका है। इससे यह प्रश्न उठता है कि इतने आरक्षण के बाद भी क्या GC के नियम की उपयोगिता है? क्योंकि यदि लगभग 70 प्रतिशत विद्यार्थी यदि नए एक्ट का प्रयोग करने के लिए मान्य होंगे तो 30-35 प्रतिशत सवर्ण छात्र योग्यता के बावजूद भी सामान्य ढंग से शिक्षा नहीं पा सकेंगे क्योंकि उन्हें कभी भी झूठे केस में फंसाकर आरोपित किया जा सकता है।

इस विषय में पड़ताल करने पर पता चला कि आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के खिलाफ भेदभाव की 2019 से 2024 के बीच कुल 1,160 शिकायतें सामने आईं, जिनमें 90.68 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया है। शिकायतों में वृद्धि देखी गई है, जिनमें दर्ज शिकायतें (वर्षवार)=2020-21 में 182, 2021-22 में 186, 2022-23 में 241, और 2023-24 में 378 हो गईं हैं, कहा जा सकता है कि Equal Opportunity Cells के प्रति जागरूकता बढ़ने से मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ी है। - नोएडा

निर्दलीय प्रकाशन से प्रकाशित कृष्णदेव चतुर्वेदी की कृति 'कीर्ति कीर्तन' लोकार्पित

कैलाश आदमी का प्राक्कथन गुरू मंत्र जैसा-प्रदीप मिश्रा

निर्दलीय संवाद

भोपाल। कोलार मार्ग पर कजली खेड़ा स्थित मां शारदा विद्या निकेतन विद्यालय के कक्षोन्नति समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद व सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्ण देव चतुर्वेदी थे। इस अवसर पर उनकी सद्यःप्रकाशित पुस्तक 'कीर्ति - कीर्तन' को लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित प्रदीप मिश्रा ने की। सारस्वत अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी महेश प्रसाद द्विवेदी थे।

समारोह मां सरस्वती की पूजा अर्चना से आरंभ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक एवं विद्या उद्बोधन की प्रस्तुति दी गयी। आयोजन की मुख्य वक्ता पूर्व सरपंच बरखेड़ा सेतु- श्रीमती रजनी सिंह थीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में शैक्षिक महत्व के साथ जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करने के व्यावहारिक पक्ष को छात्रों के समक्ष रखा। इस क्रम में एकल अभिनय की विशेष सार्थक प्रस्तुति दी गई।

विद्यालय संचालिका श्रीमती मालती महेश द्विवेदी, प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजू मिश्रा, प्रधान अध्यापक राजेंद्र जी- रोहित नगर तथा श्रीमती सुषमा पांडे-औपचारिक शिक्षक बालिका छात्रावास सलैया और समाज सेविका एवं भाजपा नेत्री सुश्री कमला ने उपस्थित पालक बालक दल को संबोधित किया। सारस्वत अतिथि महेश द्विवेदी ने लोकार्पित पुस्तक कीर्ति कीर्तन के वैशिष्ट्य और उसके रचयिता कृष्ण देव चतुर्वेदी के जीवन परिचय को सारगर्भित शब्दों में गूंथते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिक्षकों के त्याग व समर्पित जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि कीर्ति कीर्तन जैसी छोटी- छोटी पुस्तकें आगे जाकर संदर्भ ग्रंथों के रूप में याद की जाती हैं। उन्होंने लोकार्पित पुस्तक कीर्ति कीर्तन के प्रकाशक निर्दलीय प्रकाशन के संपादक कैलाश आदमी को अपना मित्र बताते हुए पुस्तक में लिखे गए उनके प्राक्कथन को गुरु मंत्र के समान बताया।

सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा बालक बालिकाओं को स्नेह सम्मान से सम्मानित कराकर उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु आशीर्वाद प्रदान किया गया। समारोह का संचालन शिक्षक श्री सोमानी ने किया। आभार शिक्षिका सुश्री पूजा ने माना ।

उल्लेखनीय है कि गद्य व पद्य में समान रूप से दर्जनों पुस्तकों के रचयिता कृष्णदेव जी का काव्य संग्रह 'तुम्हारे लिए' गत वर्ष 23 सितंबर 2025 को शिवाजी नगर स्थित दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में लोकार्पित हुआ था। उनकी अधिकतर पुस्तकें निर्दलीय प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं और जन सामान्य एवं विद्वत वर्ग में बराबरी से चर्चित हैं।